

कार्यालय,

उत्तर प्रदेश विद्यालय,

उत्तर प्रदेश विद्यालय,

संख्या:- पाठ्यपरिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय जाप:-

अधिस प्रारंभीय तकनीकी विद्या परिषद, नई दिल्ली पार्मसी काउनिसल औंफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा विद्यालय 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्टरीय तकनीकी विद्या संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक विद्या परिषद, ३०५० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक [०९/०८/२०२१] को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संबंधित हुई। बैठक में समिति द्वारा साल 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्ण से संपादित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मटो पर विचार करते हुए साल 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति नई बैठक में सिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक विद्या परिषद, ३०५० लखनऊ द्वारा साल 2021-22 हेतु निम्नान्ति शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अकिञ्च प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3036-MAHARANA PRATAP COLLEGE OF PHARMACY AND PARAMEDICAL SCIENCES, KOTHI, MANDHANA, KANPUR NAGAR- 209217

क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	र०आई०सी०टी०इ०/ पी०सी०आई० द्वारा साल 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा साल 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था र०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का सूचीतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक विद्या परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक विद्या परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियांरण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमी हेतु ₹० ३०१५०.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- ४५०००.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमी (दो वर्षीय पार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-२२५००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रा शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्णय लिये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस नियांरण समिति द्वारा यदि साल 2021-22 हेतु फीस का पुनर्नियांरण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर सामूहिकी होगी।
- ✓ संस्था को (३०५० प्राविधिक विद्या समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विवर रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय शासनादेश के अनुसार नियांरण एवं सम्बद्धता शुल्क अमा करना होगा।
- ✓ संस्था को र०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० से आगामी साल हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/जापिनियमों/शासनादेशों/नियंत्रणी एवं नियांरण, प्राविधिक विद्या, ३०५०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, ३०५० तथा प्राविधिक विद्या परिषद, ३०५० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, नियंत्रणी का पालन करने के लिये आधिक होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन पार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और प्राविधिक रूप से विनीत भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक विद्या परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक विद्या नियंत्रणादेश एवं प्राविधिक विद्या विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई खात दायर किया जाता है तथा दायर खात के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की पतिपुर्ति संबंधी आदेश निर्णय किया जाता है तो समस्त पतिपुर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन पार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए

三

सुचित, प्राक्तिक विद्या परिषद्,

www.vedicmaths.org

संख्या - प्राचीपुरीच्छ ३०१० उत्तम इनाम 2022/10779

उत्तराखण्ड: विकास: 15/12/2022

• असाधीकृत ग्रन्थ •

अधित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय काउन्सिल और इलिङ्गम, नई दिल्ली द्वारा ऐक्षिक सब 2022-23 हेतु डिप्लोमा रसीदीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रातिक्रिय शिक्षा परिषद, ३५५० सख्तीक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु डिग्रीक ३०/०८/२०२२ को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति वैष्णव संपन्न हुई। वैष्णव में समिति द्वारा सब 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व संभागित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पात्रताकर्त्ता प्रदान करना वृद्धि सहित अन्य मटी पर विचार करते हए सब 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा ऐसे गए निर्णय के अनुबंध में संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान तरसायी दीजी आइ।

पीपरी03एटी के पाव सन्ट्रम्ह संख्या 14-443/2022-PCII(Approval Process 2022-2023) 14705-09 दिनांक 03 जनवरी 2022 में दिए गए निर्देशी तंत्र में प्राप्तगत सम्बन्धी से पूर्ण में इंगित करियो के निराकरण का डिवरण एसआईएफ पर अपलोड करते हुए निर्धारित पारम्परिक पाव लाइसेंस करने के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अभिलेखों के साथ-साथ लाप्च प्रैवेट बहास की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस भारत के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में सम्बन्ध के निरीक्षण के समय प्राप्त अधिकारों का सम्बन्धित लाभ होगा।

SANGRITI SET BY THE GOVT. - 3035-MAHARANA PRATAP COLLEGE OF PHARMACY AND PARAMEDICAL SCIENCES

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पीठोडीआईपी द्वारा सार 2022-23 हेतु अनुमतीदित परिषद द्वारा सार 2022-23 हेतु प्रदत्त संसोधित प्रवेश क्षमता	प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बन्धिता है त शर्त

- ✓ संस्था ₹०आर्ड०सी०टी०इ०/पी०सी०आर्ड० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमोंकी 1992, विनियमोंकी 2000, सेमेस्टर विनियमोंकी 2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशी का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षीय हाई० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० ३०१५०.००/- प्रतिवर्ष दो बर्षीय पाठ्यक्रम हेतु ₹०- ४५०००.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो बर्षीय पाठ्यक्रम के अधिकारित) हेतु ₹०-२२५००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्राचार से पापर किया जायेगा। उपरोक्त के अधिकारित छात्राचार से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यीस निर्धारण समिति द्वारा यदि साव 2022-23 हेतु फीस का पुनर्नियापण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
 - ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवृत्ति ऊर्जा को ही प्रवेश दिया जायेगा।
 - ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क उम्म करना होगा।
 - ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविभागीय अधिनियमोंशासनादेशीनिर्देशी एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, ३०५०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, ३०५० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०५० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये कार्यकारी है।
 - ✓ यदि संस्थानों का ₹०आर्ड०सी०टी०इ०/पी०सी०आर्ड० से अनुमोदन निरसा किया जाता है तो इस सबप में समस्त उत्तराधिकार संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तराधिकारी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विकास यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के सबप में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति समर्थी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संविधान संस्था को करनी होगी।
 - ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नसनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउनिसिसिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आर्ड०सी०टी०इ०/पी०सी०आर्ड० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपसंचय कराना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की (काउनिसिसिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अधिकार प्राप्तीये प्रदू०) भवनमति प्राप्त नहीं हो सकेगी।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ३० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ३० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3036-MAHARANA PRATAP COLLEGE OF PHARMACY AND PARAMEDICAL SCIENCES

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आ४०सी०टी०इ०/ पी०सी०आ४० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/8/2022 टी०सी०-१ दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं की जोख के विरुद्ध माननीय न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में साततीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पासन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैंब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमवाली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशी का अनुपालन करेगी तथा शुल्क भिर्धारण समिति द्वारा